न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
पत्रावली संख्या : 37 / 2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री आसिमदीन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

मुकेश पुत्र श्री नन्नूराम जाति जांगिड निवासी कामां गेट डीग जिला भरतपुर विक्रेता व मालिक मैसर्स मुकेश डेयरी कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 29.8.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया । गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नियत दिनांक को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दिलाते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 4.1.2018 को दोपहर 01.00 बजे पर गैरसायल की उक्त डेयरी का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु लोहे की एक केन में करीब 30 लीटर मिश्रित दूध संग्रहित पाया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–09 / एक्ट / 2018 / 28 दिनांक 16.1.2018 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना एफएसएसए 2006 के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर (Sub Standard) का मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि गैर सायल एक छोटा व्यवसायी है तथा दूध आदि विक्रय करके वह अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। अप्रार्थी की दुकान में दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कभी भी कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध का नमूना अवमानक पाया गया है। जो सहवनवश दूधियाओं की ही त्रुटी हो सकती है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से दूध प्राप्त करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 4.1.2018 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–09/एक्ट/2018/28 दिनांक 16.1.2018 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर दूध में कोई मिलावट नहीं करना तथा दूध विक्रेताओं से दूध क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर मात्र 30 लीटर मिश्रित दूध ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाया गया है, जो गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायल को 2000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराकर तत्काल न्यायालय हाजा में जमा रसीद प्रस्तुत करें। तदनुसार कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official